कार्यालय सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार

दिनांकः– 15/7/2006

प्रस्ताव संख्या 02/2006

राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.10 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी निर्देशो के संबंध में जारी प्रस्ताव संख्या 13/2004 दिनांक 22.09.2004 के द्वारा विभिन्न श्रेणी के यात्री वाहनो के अनुज्ञापत्रो की स्वीकृति/नवीनीकरण के लिए मॉडल की शर्त निर्धारित की गई है। समय–समय पर विभिन्न जिलो में गठित यातायात सलाहकार समिति के सुझावो के आधार पर, 5 लाख से अधिक आबादी के कुछ नगरो में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 71(3) के तहत नगरीय मार्गो पर स्टेज कैरिज वाहनो की अधिकतम संख्या/स्कोप का निर्धारण भी किया गया है। मार्गों के पुर्नगठन/स्कोप निर्धारण के परिणामस्वरुप कुछ वाहनों को उनके अनुज्ञापत्र में वर्णित मूल मार्गों से विस्थापित (Displace) कर नये मार्गों पर समायोजित करना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार से विस्थापित किये गये वाहनो को नये पुर्नगठित मार्गों पर अनुज्ञापत्र जारी करने में वर्तमान मॉडल कंडीशन के कारण अनावश्यक परेशानी हो रही है। इस समस्या के निवारण हेतु एतद् द्वारा राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 5.10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जनहित में प्रस्ताव संख्या 13/2004 दिनांक 22.09.2004 को आंशिक रुप से संशोधित कर प्रस्ताव में विद्यमान परन्तुक से पूर्व एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाता है; अर्थातः–

संशोधन

(1) "परन्तु अनन्य रुप से नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या दोनो के क्षेत्र में पड़ने वाले चार पहिया यात्री वाहनो के मार्गों के पुनर्गठन के उपरांत विस्थापित (Displaced) वाहनो को पुर्नगठित मार्गों पर समायोजित करने के लिए अनुज्ञापत्रों की स्वीकृति/नवीनीकरण के लिए मॉडल कंडीशन 16 वर्ष एवं जयपुर को छोड़कर राज्य के शेष जिलो में अनन्य रुप से नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या दोनो के क्षेत्र में पड़ने वाले तीन पहिया स्टेज कैरिज यात्री वाहनो के

Scanned by CamScanner

मार्गों के पुनर्गठन के उपरांत विस्थापित (Displaced) वाहनो को पुर्नगठित मार्गों पर समायोजित करने के लिए अनुज्ञापत्रों की स्वीकृति/नवीनीकरण के लिए मॉडल कंडीशन 21 वर्ष होगी।"

(2) इस प्रकार से संशोधित नये परन्तुक के पश्चात विद्यमान परन्तुक द्वितीय परन्तुक होगा।

सदस्य
राज्य परिवहन प्राधिकार

क्रमांकः एफ9(30)परि/आरटीए/2000/पार्ट ।। 10744-48 जयपुर, दिनांकः 15/7/2006

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार।
2. समस्त सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार।
3. समस्त अतिरिक्त सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार।
4. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
5. समस्त मुख्यालय अधिकारी।

अपर सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार

Scanned by CamScanner